

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षिक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नया रायपुर, अटल नगर — 492002 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक — भू—प्रबंध)

दूरभाषः 0771 — 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू—प्रबंध/विविध/115—703/ | ६ १ ह

रायपुर, दिनांक 24/07/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर

- विषय:— Registration of forest land in favour of Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board for construction of Kudargarh Ropeway at Kudargarh Village in District of Surajpur in the State of Chhattisgarh, 0.797 ha. -regarding.
 - पंजीयन क्रमांक-FP/CG/OTHERS/25041/2017
- संदर्भ :- 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय, रायपुर का पत्र क्रमांक FC-J/IROCH-02/2020/03 dated 17.11.2020
 - 2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ न. क्र.—129/ 2021/ 1134 दिनांक 05.07.2021

<u>-0-</u>

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के संदर्भित पत्र — 1 द्वारा सूरजपुर जिले के सूरजपुर वन मण्डल में स्थित माँ कुदरगढ़ी देवी धाम में रोपवे निर्माण हेतु प्रस्तावित रकबा 0.797 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्ता का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा

वृत्त, अंबिकापुर द्वारा संदर्भित पत्र—2 के माध्यम से प्रेषित किया है, जो बिन्दवार निम्नानसार है:—

,	ाच्या पुर क्षारा रायागात पत्र—2 या माध्यम स प्रापता क्या	3 / 3
क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
i	Legal status of the forest land shall remain	मान्य है। आवेदक संस्थान का आवश्यक वचन पत्र
	unchanged.	संलग्न है।
		'संलग्नक क्रमांक-01
îi	Compensatory Afforestation	उक्त प्रकरण के व्यपवर्तन प्रस्ताव में प्रस्तावित
	The State Forest Department shall undertake	वनभूमि 0.797 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण
	plantation of 100 number of trees over degarded	सूरजपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र कुदरगढ़ अंतर्गत
٠.	forest land as compensatory afforestation, in lieu of forest land being diverted at the cost of the	बिगडे वनभूमि कक्ष क्रमांक पी 1533 पर 100 नग
	User Agency;	पौधा का सिचित वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान
		द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु जमा राशि 66025.00
		रुपये जो कैम्पा मद के खाता क्रमांक-
		1506419925041989 दिनांक 12.01.2021 में जमा
		की गई है से वन विभाग द्वारा किया जावेगा।
		आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन-पत्र
		संलग्न है।
		संलग्नक क्रमांक—02
íii	The cost of compensatory afforestation at the	वैकल्पिक वृक्षारोपण सूरजपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र
	prevailing wage rates as per compensatory	कुदरगढ़ अंतर्गत बिगड़े वनभूमि कक्ष क्रमांक पी 1533
	afforestation scheme and the cost of survey,	पर 100 नग पौधा का सिंचित वृक्षारोपण 10 वर्षीय



8			
		demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 year. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent year;	वृक्षारोपण एवं रख—रखाव का कार्य वन विभाग के द्वारा आवेदक संस्थान से जमा की गई राशि से किया जावेगा। संलग्नक क्रमांक — 03
	Ιv	NPV:	व्यपवर्तन प्रकरण में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 0.797 हे.
	a	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 0.797 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No.5-2/2006-FCdated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;	वनभूमि हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 202/1995 तथा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 5-3/2007- FC दिनांक 05/02/2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि रु0 639991.00 (छः लाख उन्चालिस हजार नौ सौ इक्यानवे) कैम्पा मद में ई—चालान के माध्यम से जमा किया जा चुका है। NEFT/RTGS के माध्यम कैम्पा खाता में जमा चालान की छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक क्रमांक —04
	b	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की अतिरिक्त राशि निर्धारित किया जाता है तो निर्धारित राशि आवेदक संस्थान द्वारा जमा की जावेगी। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन—पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक —05
	V	No tree cutting shall be permitted in the diverted forest land.	आवेदक संस्थान सहमत है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन—पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक —06
	vi	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal(https://parivesh.nic.in/);	उक्त प्रकरण के प्रस्ताव में आवेदक संस्थान द्वारा प्राप्त समस्त राशि कैम्पा नद के बचत खाते में ई—चालान के माध्यम से हस्तांतरित किया जायेगा। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन—पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक —07
F	vîi	The complete compliance of the FRA, 2006 shall	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य है। आवेदक संस्थान
		be ensured by way of prescribed certificate from	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		the concerned District Collector;	द्वारा इस आशय का वचन—पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक —08
	viii	User Agency shall develop a separate nursery at	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य है। आवेदक संस्थान
	•	one of more places to raise at least 2500	द्वारा इस आशय का वचन-पत्र संलग्न है।
		seedlings of forestry species along with bamboo,	1
		fruit bearing medicinal, omamental and	संलग्नक क्रमांक —09
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		indigenous/;local every year.At least 50% of	
		seedlings shall shall be planted by User Agency	
	i	in the vicinity of project area including forest	
		area and for better relation with local people	
		residing in vicinity of proposed road, User	
		Agency shall voluntary distribute remaining 50%	
		of seedling to them free of cost. A compliance	
		report including species wise details of seedling	
		raised, location of plantation area and details of	
		villagers whom seedling have been distributed	
		need to be prepared every six month and	

	e Marie	oper tenge	ŭ,
2	11	V	
ĺ	11	۸,	
•	****	والتعنين	ممحر

	cyle it I	
	submitted to Integrated Regional Office (MoEF&CC	of
ix	Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, applicable:	ie द्वारा इस आशय का क्वन-पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -10
X	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Centra Government;	e आवेदक संस्थान द्वारा मान्य है। आवेदक संस्थान वारा इस आशय का वचन—पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक —11
xi	No labour camp shall be established on the fores land;	ा आवेदक संस्थान द्वारा मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन-पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -12
xii	Sufficint firewood, prefrably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labour after purchasing the same from the State forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	, आवेदक संस्थान द्वारा मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन—पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक —13
xiii	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;	द्वारा इस अशय का वचन-एव कंत्रक है।
xiv	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	द्वारा इस आशय का वचन-पत्र संलग्न है।
XV	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन—पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक —16
XVI	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन-पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -17
xvii	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन—पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक —18
xviii	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29.01.2018;	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन—पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक —19
xix	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interst of conservation, protection and development of forest & wildlife;	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन—पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक —20
XX	e-portal(https://parivesh.nic.in/):	आवेदक संस्थान द्वारा मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन—पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक —21



उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्न: 1. संलग्नक ०१ से २१ तक

2. पालन प्रतिवेदन तीन प्रति में

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

(सुनील मिश्रा) अ.प्र.मु.व.स (भू—प्रबंध /वं. स. अ) छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू—प्रबंध/विविध/115— 703/ | ६ ९ ५ प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः रायपुर, दिनांक २५/07/2021

मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।

— क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 17.11.2020 की सहपठित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमित जारी की जाती है। किये जाने वाले कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किये गये जाबदर तथा नार्स्त के अधीन रहेंगे तथा मुख्य वन संरक्षक इसका लेखा वन मंडलाधिकारियों से मासिक रूप से प्राप्त करेंगे।

वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमित प्राप्त कर किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी पी.

ंडी खाते से आहरण की अनुमति पृथक से भू—प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।

2. वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल, सूरजपुर छत्तीसगढ़।

3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, द्वितीय तल उद्योग भवन, रिंगरोड 1 रायपुर I

अ.प्र.मु.व.सं (भू—प्रबंध /वं. स. अ) ं/ ८ छत्तीसंगढ़